Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक जिलाधीश, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

सुखैन कुमार बनाम भूपराम आदि

किस्म मुकदमाः– अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 वाद संख्याः 114 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इ हुक्म की तामील में जारी हुए
05.01.2024	(see below)	

05.01.2024

पत्रावली पेश हुई। बहस उभय पक्ष सुनी गई। वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रतिवादी न. 1 भूपराम जो वादी का पिता हैं, के नाम से मुताबिक जमाबंदी संवंत 2075–2078(2021) से स्थायी तहसील सूरतगढ़ के चक 27 एम.ओ.डी.(ए) के खाता संख्या 39/34 के पत्थर नम्बर 10/271(15) के किला नम्बर 17/2/0.0890, 18 ता 24, 25/1, 25/2 की कुल 2.1130 हैक्टेयर नहरी मय गै.मु. रास्ता भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। इस भूमि के अलावा प्रतिवादी न. 1 के नाम तहसील पदमपुर के चक 73 एल.एन.पी. के खाता सख्या 42/28 में 0.492 हैक्टेयर तथा तहसील रावला के चक 18 के.डी. ए में 12 बीघा भूमि थी जो सड़क में अवाप्त हो गई जिसका मुआवजा राशि भी प्रतिवादी संख्या 1 भूपराम ने प्राप्त की थी। जैरवाद भूमि पूर्व में वादी के दादा भजनलाल पुत्र गणेश के नाम से थी जो विरासतन प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त होने से पैतृक भूमि हैं। इस भूमि बाबत वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के मध्य अर्सा दराज पूर्व घरू बंटवारा हो चुका हैं, मुताबिक घरू बंटवारा वाद पत्र की दफा 3 में वर्णित जैरवाद भूमि वादी व प्रतिवादी सख्या 2 को ब.हि.ब. प्राप्त हुई हैं तथा वाद पत्र की दफा 4 में वर्णित तहसील पदमपुर की भूमि प्रतिवादी सख्या 1 को प्राप्त हुई। प्रतिवादी संख्या 3 जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 की सगी बहन व प्रतिवादी सख्या 1 की पुत्री हैं, ने जैरवाद भूमि में अपना समस्त हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में छोड़ दिया हैं। जैरवाद भूमि में वादी तथा प्रतिवादी संख्या 2 को प्रत्येक का 1/2, 1/2 हिस्सा हैं। इसलिए हको की घोषणा करवाने के लिए ही उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है जो डिक्री किया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादीगण जरिये वकील हाजिर अदालत आये तथा वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने राजीनामा प्रस्तुत कर दावा डिक्री करने का निवेदन किया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो, साक्ष्यो का अवलोकन किया। वादाधीन भूमि जमाबन्दी में प्रतिवादी न. 1 के नाम दर्ज हैं। जो मुताबिक रिकार्ड पैतृक भूमि साबित हैं तथा वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा भी राजीनामा प्रस्तुत किया जा चुका हैं, इसलिए मुताबिक राजीनामा वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादी न. 1 के नाम से दर्ज तहसील सूरतगढ़ के चक 27 एम.ओ.डी.(ए) पटवार हल्का गुरूसर मोडिया की जमाबंदी 2075–2078, 2077(वर्ष 2021) से स्थायी के खाता संख्या 39/34 के पत्थर नम्बर 10/271 मु.न. 15 के किला नम्बर 17/2, 18 ता 24, 25/1, 25/2 = 2.1130 हैक्टेयर नहरी मय गै.मु. रास्ता खातेदारी भूमि में वादी **सुखैन कुमार पुत्र भूपराम** तथा प्रतिवादी स. 2 **सुशील कुमार पुत्र भूपराम** जाति बिश्नोई निवासी लखासर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ को **ब.हि.ब.** का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तहसीलदार सूरतगढ़ इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करे। भूमि अगर रहन है तो रहन यथावत रखा जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक . 05.01.2024 . को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
सूरतगढ़